भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2491

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2024

नशे की लत

2491. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्ष-दर-वर्ष सूचित किए गए मामलों और इससे प्रभावित जनसंख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा पंजाब में नशीली दवाओं के सेवन से निपटने के लिए जिनमें नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन भी शामिल हैं, क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या पंजाब में नशाखोरी को दूर करने के लिए विशिष्ट पुनर्वास कार्यक्रम या पहल जैसे कि निधि आवंटन, नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना तथा किराए पर लिए गए कर्मचारियों की संख्या और परिणाम क्या रहे हैं; और

(घ) केन्द्रीय और राज्य कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और पुनर्वास प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2018 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नेशनल ड्रग डिपेन्डेंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), एम्स के माध्यम से भारत में नशीले पदार्थों की मात्रा और पैटर्न पर किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में नशीले पदार्थ-वार इसकी व्यापकता तथा इसका सेवन करने वालों की संख्या निम्नानुसार है :-

पंजाब	वयस्क (आयु18-75)	
	मादक पदार्थों के सेवन की व्यापकता (%)	सेवन करने वालों की अनुमानित संख्या
अल्कोहल	34	73,31,000
कैनबिस	14.23	30,68,000
ओपिओइड	9.91	21,36,000
शामक	4.61	9,93,000
इनहेलेंट	0.87	1,87,000
कोकीन	0.69	1,50,000
एटीएस	0.63	1,36,000
हैलुसिनोजन	0.00	-

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 के सांख्यिकी खंड-I के अनुसार, वर्ष 2022 में पंजाब में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत 12,442 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ख): पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, जिसमें नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन भी शामिल है, **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग पंजाब राज्य में नशे की लत वाले व्यक्तियों के लिए 07 एकीकृत पुनर्वास केन्द्र (आईआरसीए), 02 आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी) और 01 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) को सहायता प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इन केंद्रों को अनुदान सहायता के रूप में 1.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 11,486 व्यक्तियों ने इन केंद्रों में सुविधाओं का लाभ उठाया है और नियमित रूप से एनएपीडीडीआर स्कीम विनियमों के दिशानिर्देशों का पालन किया है।

(घ): एनएपीडीडीआर स्कीम के अंतर्गत पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और पुनर्वास प्रयासों को समर्थन देने के लिए आवंटित निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	वित्त वर्ष	जारी की गई निधियां (रुपए करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2018-19	11.71	1865
2.	2019-20	4.9	2048
3.	2020-21	1.55	10534
4.	2021-22	1.08	10159
5.	2022-23	1.01	11239
6.	2023-24	1.33	11486
	कुल	**21.08**	**47331**

<u>अनुबंध</u>

लोक सभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2491 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ड्रग्स की मांग में कमी करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत (क) नशामुक्त व्यक्तियों के लिए निवारक शिक्षा एवं जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजीविका तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ड्रग्स की मांग में कटौती संबंधी कार्यक्रमों के संचालन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को तथा (ख) नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के पीड़ितों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए), किशोरों में कम उम्र में ड्रग के सेवन को रोकने के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशनों (सीपीएलआई), आउटरीच तथा ड्रॉप-इन केन्द्रों (ओडीआईसी), जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) के संचालन एवं रखरखाव के लिए एनजीओ/वीओ को तथा (ग) सरकारी अस्पतालों में नशामुक्ति उपचार सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

i. वर्तमान में, मंत्रालय पंजाब राज्य में 07 आईआरसीए (गुरदासपुर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पटियाला, संगरूर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में), 02 ओडीआईसी (गुरदासपुर और लुधियाना जिलों में) और 01 सीपीएलआई (लुधियाना जिले में) को सहायता प्रदान कर रहा है।

ii. मंत्रालय ने दिनांक 15.08.2020 को सबसे अधिक संवेदनशील 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरुआत की। इस अभियान को अब पंजाब सहित देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत युवा स्वयंसेवकों के माध्यम से बड़े पैमाने पर सामुदायिक संपर्क स्थापित किया जा रहा है। पंजाब राज्य में 75 हजार से अधिक युवाओं और 27 हजार से अधिक महिलाओं सहित 5.5 लाख से अधिक लोगों तक एनएमबीए के तहत लाभ पहुंचाया गया है।

iii. मंत्रालय ने नवचेतना मॉड्यूल (स्कूली बच्चों के लिए जीवन कौशल और नशीली दवाओं की शिक्षा पर एक नई चेतना) विकसित किया है। नवचेतना मॉड्यूल के कार्यान्वयन के पहले चरण में पंजाब के 18 जिलों के 100 मास्टर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

iv. मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस हेल्पलाइन द्वारा मदद मांगने वाले लोगों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान करना है। आज तक पंजाब राज्य से 3,118 कॉल प्राप्त हुई हैं।

******